न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 01/2024
GCMS No. 2024/25

दायर दिनांकः– 06.05.2024

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

अरविन्द पुत्र बाबूलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहबाद जिला बारां

– अपीलान्ट

बनाम

गुडडी बाई पत्नि मोहन जाति सहरिया निवासी निवाडी तहसील शाहबाद जिला बारां

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित

श्री प्रकाशचन्द नामदेव अभिभाषक, अपीलान्ट

श्री अरविन्द शर्मा अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.02.2024 द्वारा न्यायालय तहसीलदार शाहबाद प्रकरण संख्या 18/23 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक :– 28.08.2024

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद के निर्णय दिनांक 14.02.2024 प्रकरण संख्या 18/2023 उनवान गुडडी बाई बनाम अरविन्द अन्तर्गत धारा 183 (बी) की अपील इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फिस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए। रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

रेस्पोडेण्ट गुडडी बाई ने अपने खातेशुदा भूमि खसरा संख्या 669 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा बांके ग्राम खुशियारा तहसील शाहबाद में स्थित है, पर अपीलान्ट का अवैधानिक कब्जा बतलाया है वह मिथ्या है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी ने इस आराजी कि मौके पर जाकर वास्तिविकता कि जांच नहीं की और अपीलान्ट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी नियम विरूद्ध घोषित कर उक्त निर्णय कानून के विरूद्ध दिया गया है जो निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय देने के पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस की तामील नहीं कराई अपीलान्ट को बिना सूचना व तलबी किये ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया है। जो अधीनस्थ न्यायालय कि स्वेच्छा चारित शक्तियों का प्रतीक है इस कारण भी उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। हल्का पटवारी कि रिपोर्ट भी स्पष्ट नहीं है ना ही पत्रावली पर कोई ऐसी साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे अपीलान्ट अतिक्रमी साबित होता हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत फैसला दिया है। इसलिए निरस्तनीय है।

183(बी) आर.टी.एक्ट. के अन्तर्गत दिये जाने वाले आवेदन पत्र पर जांच अतिक्रमण के आरोपी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही निर्णय किया जाना चाहिए था जो अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया। इस कारण भी उक्त निर्णय निरस्तनीय है।

वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 669 रकबा 9 बीघा 12 विस्वा बांके ग्राम खुशियारा तहसील शाहबाद का मूल खातेदार चिरोंजी पुत्र लोहसे, कला पुत्री लोहसे जाति सहरिया निवासी खुशियारा है। परन्तु मात्र रिकार्ड में दर्ज है। इन्होंने कभी भी इस आराजी पर काश्त नहीं कि और यही आराजी वाला प्रार्थी गुडडी बाई रेस्पोडेण्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.08.2015 को प्रार्थिया गुडडी बाई को विक्रय कर दी है परन्तु रेस्पोडेण्ट का 2015 के बाद भी आज तक कोई कब्जा इस आराजी पर नहीं है ना ही कोई उजरदारी ही पेश कि इस माल में कभी भी चिरोंजी व गुडडी बाई को काश्त करते हुये नहीं देखा है। बल्कि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट कि पुस्तैनी आराजी खसरा संख्या 659 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 660/1111 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा बांके ग्राम खुशियारा तहसील शाहबाद में स्थित है, जो वर्तमान में यह पुश्तैनी आराजी अपीलान्ट अरविन्द व बाबूलाल की पुत्रियां सीताबाई, शीलाबाई, अनुसुईया व पत्नि रामकली तथा अपीलान्ट के बडे भाई दिलीपसिंह मृतक के वारिसान के नाम दर्ज है। जिस पर अपीलान्ट ही सामलाती काश्त कर रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

इस पुश्तैनी आराजी अपीलान्ट के कब्जे काश्त कि को रेस्पोडेण्ट खसरा संख्या 669 बतलाकर जबरन कब्जा करना चाहता है। जबकि अप्रार्थी अपीलान्ट खसरा संख्या 659 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा व 660/1111 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा पर 60 वर्ष से पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है। चिरोजी व गुडडी बाई कि जमीन वादग्रस्त का कोई पता दोनो को नहीं है ना ही अपीलान्ट ने ना ही और काश्तकारों ने कभी काश्त करते हुये नहीं देखा।

मूल खातेदार चिरोंजी पुत्र लोहसे, कला पुत्री लोहसे का कहना है कि मेरे उपर 10 हजार रूपये धर्मेन्द्र महाजन पुत्र बद्रीप्रसाद महाजन निवासी समरानियां का कर्जा था तो मैंने धर्मेन्द्र महाजन को ही वादग्रस्त जमीन का बेचान किया है। गुडडी बाई रेस्पोडेण्ट को नहीं। धर्मेन्द्र महाजन कि आराजी लगभग व उसके भाई की 15 बीघा है जो मुझ अपीलान्ट की जमीन के पास है। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट कि उक्त खाते के आराजी को मुझ अपीलान्ट कि आराजी बतलाकर नियम विरूद्ध उक्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करवाई है जो खारिज होने योग्य है। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट से झूठी कार्यवाही धर्मेन्द्र महाजन ने करवाई है जो रेस्पोडेण्ट ने कि है जो असत्य होने से निरस्तनीय है। हल्का पटवारी खुशियारा व कानूनगो केलवाडा ने अपनी रिपोर्ट 07.03.2024 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मौके पर खसरा संख्या 669 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा का वास्तविक सीमाज्ञान वर्तमान में मौखिक रूप से नहीं किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान में पूरे क्षेत्र में फसलें खडी है एवं आसपास कोई मुस्तलिक विन्दु नहीं है।

अपीलान्ट खातेदार अरविन्द्र पुत्र बाबूलाल बगै. जाति किराड के भी मौके पर खसरा संख्या 659 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा व 660/1111 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर काश्त कर रहें है। क्योंकि अप्रार्थी के भी किता 2 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि रिकार्ड में खाते दर्ज है। इस प्रकार अपीलान्ट अपने खाते कि 7 बीघा 6 बिस्वा आराजी पर ही पुश्तैनी वर्षो से काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थिया रेस्पोडेण्ट ने नियम विरूद्ध धर्मेन्द्र महाजन के उकसाने पर यह मिथ्या कार्यवाही अपीलान्ट के खिलाफ दर्ज करवायी है जो असत्य होने से एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने गहराई से वास्तविकता कि जांच नहीं की है और अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो निर्णय नियम विरूद्ध है। अपीलान्ट किराड जाति का सीधा–साधा व्यक्ति है जो रेस्पोडेण्ट कि आराजी को हडपने का तो कोई प्रश्न भी नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय का प्रथम ज्ञान हल्का पटवारी खुशियारा के 28.02.2024 को कहने पर हुआ। मुझे ज्यों ही ज्ञान हुआ मैंने उक्त निर्णय दिनांक 14.02.2024 नकल प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में 01.03.2024 को प्रस्तुत कर दिया नकल निर्णय तैयार होकर दिनांक 26.03.2024 को अपीलान्ट को दी गई। इसके बाद प्रार्थी बीमार पड गया। पूर्व कि डिले ज्ञान के अभाव में और विलम्ब से प्राप्त होने के कारण कन्डोन (क्षमा) किये जाने योग्य है और अपील अपीलान्ट अवधि मध्य मानी जाकर दर्ज किये जाने योग्य है। इसी अपील के साथ अन्तर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी मय शपथ पत्र प्रस्तुत है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 669 रकबा 9.12 बीघा बांके ग्राम खुशियारा तहसील शाहबाद का मूल खातेदार गुडडी बाई पत्नि मोहन जाति सहरिया निवासी खुशियारा है। परन्तु मात्र रिकार्ड में दर्ज है। इन्होंने कभी भी इस आराजी पर काश्त नहीं की है।

हमने उभय पक्षों की बहस व पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया कि आराजी ख.नं. संख्या 669 रकबा 9.12 बीघा ग्राम खुशियारा के रिकार्डेड खातेदार रेस्पोडेण्ट है। अपीलान्ट को विवादित आराजी पर अतिक्रमण की हैसियत से कब्जा बनाये रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। आराजी संख्या 669 रकबा 9 बीघा 12 विस्वा ग्राम खुशियारा तहसील शाहबाद रेस्पोडेण्ट गुडडीबाई पत्नि मोहन जाति सहरिया की खातेदारी में है।

इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट की खातेदारी आराजी संख्या 669 रकबा 9 बीघा 12 विस्वा ग्राम खुशियारा पर किया गया कब्जा विधी विरूद्ध होना सिद्ध होता है निर्णय तहसीलदार शाहबाद दिनांक 14.02.2024 अन्तर्गत धारा 183(बी) उचित पाये जाने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner